जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

न्यायालय परिसर, राजसमन्द
फोन नं. 02952–294498, Email-dlsa30rajsmand@gmail.com

क्रमांक :– 36 दिनांक :– 16.03.2026

–: विज्ञप्ति :–

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–7(136)रालसा/संस्था/संविदा सेवा–वाहन/2026/156 दिनांक 10.03.2026 के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द के कार्यालय हेतु 04 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियमित रिक्त पदो एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के कार्यालय हेतु 06 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियमित रिक्त पदों के विरूद्व संविदा सेवाओं के अन्तर्गत सेवानिवृत कार्मिकों को कार्मिक एवं वित्त विभाग के परिपत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक) अथवा नियमित भर्ती होने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, के लिये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के नियमित रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति निम्नानुसार की जानी है –

क्र. सं.	प्राधिकरण/समिति का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द	04
2	तालुका विधिक सेवा समिति, नाथद्वारा, भीम, देवगढ, आमेट, कुम्भलगढ एवं रेलमगरा (प्रत्येक हेतु एक पद)	06
	कुल पद	10

सामान्य शर्तें/निर्देश :–

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक/मानदेय राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा।
2. आवेदक को पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।
3. सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, की सेवाएं दिनांक 31.03.2027 तक की अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, के लिए ली जा सकेगी।
4. संविदा सेवाएं देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेगें।
5. उक्त संवर्गो की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।
6. विज्ञप्ति में वर्णित रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी/वृद्धि की जा सकेगी।
7. उक्त सेवाएं देने के इच्छुक कर्मचारी दिनांक 23.03.2026 को 02.00 पीएम तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदक जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट **https://rajsamand.dcourts.gov.in/** से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
राजसमन्द

क्रमांक :–जिविसेप्रा/2026/1558–1565 दिनांक :– 16.03.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द
3. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
4. जिला कलक्टर, राजसमन्द को समस्त अधीनस्थ विभागों/ PSUs में सूचित करने बाबत्।
5. तालुका विधिक सेवा समिति, नाथद्वारा/आमेट/देवगढ/भीम/रेलमगरा/कुम्भलगढ
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द को अखबार में प्रकाशन हेतु।
7. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द को जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
राजसमन्द

कार्यालयः– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द (राज.)

(राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त कर्मचारी/विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :–
2. पिता/पति का नाम :–
3. जन्म तिथिः–
4. पता मय मोबाईल नम्बर :–

5. आयु (दिनांक 01.01.2027) :– वर्ष माह दिन
6. शैक्षणिक व तकनीकि अर्हताएं :–
7. मूल विभाग का नाम :–

8. धारित पद :–

9. अनुभव :–

10. मूल वेतन
 (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)
 पे–स्लीप/एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
 (पीपीओ की प्रति संलग्न करें।)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
 (1)..... (2).....(3).....
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 15 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी..... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती..... रुपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/रही थी और श्री/श्रीमती..... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती..... के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील

विपरीत प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरकर्ता राज्य सरकार के कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में राज्य सरकार में संविदात्मक विपरित प्रतिनियुक्ति की सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर